



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2024

24 ज्येष्ठ, शक संवत् 1946

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 182/वि0स0/प0का0/76(प)/2005

लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-कानपुर नगर, 213, सीसामऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री हाजी इरफान सोलंकी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे;

और, चूंकि, श्री हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-213, सीसामऊ को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-XI, कानपुर नगर द्वारा सेशन केस नं0-98/2023, अपराध संख्या-127/2022, धारा-436, 506, 147, 327, 427, 386, 504, 120बी भा0द0सं0, थाना-जाजमऊ, जिला-पूर्वी (कमिश्नरेट कानपुर नगर) के वाद में दोषसिद्ध पाते हुए धारा-147 भा0द0सं0 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-436/149 भा0द0सं0 में सात वर्ष कठोर कारावास तथा 20000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-427/149 भा0द0सं0 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 5000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-323/149 भा0द0सं0 में छः माह के कठोर कारावास तथा 500/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-506 भा0द0सं0 के भाग-1 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-504 भा0द0सं0 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 1000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अतएव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा0 सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार श्री हाजी इरफान सोलंकी दिनांक 07 जून, 2024 से निरह माने जायेंगे;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री हाजी इरफान सोलंकी का उक्त स्थान दिनांक 07 जून, 2024 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।